न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय/विशेष न्यायाधीश, (गैंगेस्टर एक्ट), चन्दौली।

<u>सत्र परीक्षण संख्या–701 सन् 2025</u>

सरकार प्रति मुराली वगैरह

मु.अ.सं.–13/2025
धारा–3(1) उ.प्र.गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि.1986,
थाना–चकरघट्टा,
जिला–चन्दौली।

<u>आरोप</u>

मैं, **पारितोष श्रेष्ठ** अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), चन्दौली आप अभियुक्तगण–**मुराली, निराला मौर्य एवं देवेन्द्र कुमार मौर्य** को निम्न् आरोप से आरोपित करता हूँ :–

यह कि आप अभियुक्तगण ने उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–7 सन् 86) के प्रवर्तन के उपरान्त, अधिनियम की धारा–2 के अन्तर्गत परिभाषित एक गिरोह बनाया है तथा अपने तथा अपने गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आप अभियुक्तगण धारा 2ख में वर्णित अपराध कारित करते हैं तथा इसी क्रम में आप अभियुक्तगण **मुराली, निराला मौर्य एवं देवेन्द्र कुमार मौर्य** ने गैंगचार्ट में प्रदर्शित निम्न्लिखित अपराध कारित किये हैं :–

1–मु.अ.सं.–87/2024, अन्तर्गत धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस.एक्ट, थाना चकरघट्टा, जिला चन्दौली का अभियोग पंजीकृत है।

इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देशित करता हूँ कि आप लोगों विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक–08.06.2026

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय,
विशेष न्यायाधीश,(गैंगेस्टर एक्ट),
चन्दौली।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग किया।

दिनांक–08.06.2026

(पारितोष श्रेष्ठ)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट–द्वितीय,
विशेष न्यायाधीश,(गैंगेस्टर एक्ट),
चन्दौली।

Digitally signed by PARITOSH
SHRESHTHA
Date: 2026.06.19 06:37:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court